2369

बिहार सरकार
राज्य बाल संरक्षण समिति,
समाज कल्याण विभाग

समेकित बाल संरक्षण योजना (बाल संरक्षण सेवायें) नियोजन मार्गदर्शिका-2023

समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित गृहों के विभिन्न संविदा आधारित पदों के लिए नियोजन हेतु निम्नवत् रूप से मार्गदर्शिका तैयार की गयी हैः-

1. <u>परिभाषाएँ</u>-इस मार्गदर्शिका में जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न होः-

- राज्य सरकार से अभिप्रेत है, बिहार सरकार
- विभाग से अभिप्रेत है, समाज कल्याण विभाग, बिहार
- पदों से अभिप्रेत है, कंडिका-2 में उल्लेखित पद
- अध्यक्ष से अभिप्रेत है, सचिव, समाज कल्याण-सह-अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना।
- नियोजन प्राधिकार से अभिप्रेत है, निदेशक, समाज कल्याण-सह-उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति, पटना
- शैक्षणिक योग्यता से अभिप्रेत है, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के संबंध में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्थान/सक्षम निकाय द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र

2. पद-

(i) समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न गृहों में इस नियोजन हेतु संविदा आधारित निम्न पद होंगें।

क्र.सं.	इकाई का नाम	पदनाम
1	राज्य बाल संरक्षण समिति (राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण)	कार्यक्रम प्रबंधक
2	जिला बाल संरक्षण इकाई	विधि सह परिवीक्षा अधिकारी
		परामर्शी, DCPU
		डाटा एनालिस्ट
		सामाजिक कार्यकर्ता
		आउटरीच वर्कर
3	बाल देख रेख संस्थान	परिवीक्षा अधिकारी/ केस वर्कर/बाल कल्याण अधिकारी
		परामर्शी (गृह)
		हाउसफादर/ हाउसमदर
		पारा मेडिकल स्टॉफ
		फिजियोथेरेपिस्ट

(ii) मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही प्राप्त शैक्षणिक योग्यता को योग्यता के रूप में मान्यता दी जायेगी।

3. **उम्र सीमा**- राज्य बाल संरक्षण समिति के प्रशासी समूह के निर्णय अनुसार। उपरोक्त सभी पदों के लिए न्यूनतम आयु वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र आवेदन की अंतिम तिथि को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2368

4. आरक्षण- इस नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण के अद्यतन प्रावधान (क्षैतिज आरक्षण सहित) लागू होंगें।

5. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएवं नियोजन में अधिमानता-

I. उपर्युक्त कंडिका-2 (1) में उल्लेखित पदों की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं नियोजन में अधिमानता का विवरण निम्नवत होगा-

क्र0सं0	पद का नाम	इकाई	न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	अभियुक्ति
1	कार्यक्रम प्रबंधक	राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण	Post graduate Degree in Social Work/Sociology /Child Development/ Human Rights Public Administration/ Psychology/Psychiatry/Law/Public Health/Community Resource Management From a recognized University.	➢ 3 years of experience in project formulation/ implementation, Monitoring and supervision preferably in the field of Women & Child Development/ Social Welfare. ➢ Proficiency in computers.	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्स्टीट्यूट से कम्प्यूटर में न्यूनतम 6 माह का सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा/ डिग्री कोर्स अनिवार्य है।
2	विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी	जिला बाल संरक्षण इकाई	LLB from recognized university	➢ Experince of at least 2 years of working with Govt./NGO/ Legel Matters Preferably in the field of women & Child Rights. ➢ Good understanding of Women & Child right & protection issues.	
3	परामर्शी	जिला बाल संरक्षण इकाई	Graduate in social work/Sociology/Psychology/Public Health/Counselling from a recognized university. OR PG Diploma in Counselling and Communication	➢ At least 1 year of working experience with the Govt./NGO preferably in the field of Women & Child Development. ➢ Proficiency in computers.	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्स्टीट्यूट से कम्प्यूटर में न्यूनतम 6 माह का सर्टिफिकेट/ डिप्लोमा/पी0जी0 डिप्लोमा/ डिग्री कोर्स अनिवार्य है।
4	डाटा एनालिस्ट	जिला बाल संरक्षण इकाई	Graduation in Statistics/Mathematics/Economics/Computer (BCA) from a recognized university.	➢ Weightage for work experience candidate. ➢ Proficiency in computers.	कम्प्यूटर के अलावे अन्य विषय से स्नातक के अभ्यर्थी को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त

2367

					इन्स्टीट्यूट से कम्प्यूटर में न्यूनतम 6 माह का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स अनिवार्य है।
5	सामाजिक कार्यकर्ता	जिला बाल संरक्षण इकाई	Graduate preferably in B.A. in Social Work/Sociology/Social Science from a recognized university.	➢ Weightage for work experience candidate. ➢ Proficiency in computers.	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्स्टीट्यूट से कम्प्यूटर में न्यूनतम 6 माह का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा /पी0जी0 डिप्लोमा/ डिग्री कोर्स अनिवार्य है।
6	आउटरीच वर्कर	जिला बाल संरक्षण इकाई	12th passed from a recognized Board/Equivalent Board.	➢ Weightage for work experience candidate.	Good Communication Skill
7	परिवीक्षा अधिकारी/ केसवर्कर/ बाल कल्याण अधिकारी	बाल देख-रेख संस्थान	Graduate preferably in B.A. in Social Work/Sociology/Social Science or LLB from a recognized university.	➢ Experince of at least 2 years of working with Govt./NGO/Legal matters preferably in the field of Woment& Child Rights ➢ Good understanding of Women & Child right & Protection issues. ➢ Proficiency in computers.	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्स्टीट्यूट से कम्प्यूटर में न्यूनतम 6 माह का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा /पी0जी0 डिप्लोमा/ डिग्री कोर्स अनिवार्य है।
8	परामर्शी	बाल देख-रेख संस्थान	Graduate in social work/Sociology/Psychology/Public Health/Counselling from a recognized university. OR PG Diploma in Counselling and Communication	➢ At least 1 year of working experience with the Govt./NGO preferably in the filed of Women & Child Development. ➢ Proficiency in computers.	सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इन्स्टीट्यूट से कम्प्यूटर में न्यूनतम 6 माह का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा /पी0जी0 डिप्लोमा/ डिग्री कोर्स अनिवार्य है।
9	हाउसफादर / हाउसमदर	बाल देख-रेख संस्थान	इण्टर(10+2) अथवा समकक्ष	➢ सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं में	चयनित कर्मी को बाल देख-भाल संस्थान में ही रहना होगा।

				न्यूनतम 02 वर्षों का कठिन परिस्थिति में रहने वाले बच्चों के साथ कार्य करने का अनुभव	
10	पारामेडिकल स्टाफ	बाल देख-रेख संस्थान	किसी विषय में स्नातक	➢ राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार अथवा किसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतराष्ट्रीय स्तर के एजेन्सी द्वारा संचालित परियोजना में न्यूनतम 6 माह का पारा मेडिकल स्टाफ के रूप में कार्य करने का अनुभव।	चयनित कर्मी को बाल देख-भाल संस्थान में ही रहना होगा।
11	फिजियोथेरेपिस्ट	बाल देख-रेख संस्थान	फिजियोथेरेपी में स्नातक (मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से)	➢ सरकारी या केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थाओं में फिजियोथेरेपी में न्यूनतम 3 वर्षों का कार्य अनुभव	

(ii) स्नातक का तात्पर्य न्यूनतम त्रिवर्षीय स्नातक से एवं स्नात्कोत्तर का तात्पर्य न्यूनतम दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठयक्रम से है तथा पाठयक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य होना चाहिए।

(iii) केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थाओं द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अद्यतन 06 माह का वेतन/पारिश्रमिक/मानदेय भुगतान के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट काउंसलिंग में प्रस्तुत करना होगा।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा समर्पित सभी शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधित दस्तावेज जिसके आधार पर नियोजन किया जाना है उसका सत्यापन, प्रमाण पत्र जारी करने वाले कार्यालय से कराया जायेगा।

(v) नियोजन से पूर्व अथवा बाद में जब कभी भी ज्ञात हो, सत्यापन में दस्तावेज फर्जी पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए अभ्यर्थी के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी साथ ही प्रमाण पत्र निर्गत करने में जारीकर्ता संस्था के किसी पदाधिकारी/कर्मी की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

(vi) नियोजन के बाद शैक्षणिक/अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की स्थिति में मानदेय के रूप में दी गयी राशि वसूली की जायेगी।

चयन हेतु अंक निर्धारण प्रणाली:-इंटर/स्नातक/स्नातकोत्तर में प्राप्त (जहां अनिवार्य अर्हता है) प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित वेटेज के अनुसार मेधा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। अंकों की गणना के लिए जिस शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव को आधार बनाया जा रहा है, उस अर्हता को धारण करने के

बाद की अनुभव अवधि को ही अनुभव के अंकीय गणना हेतु मान्यता दी जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता का वेटेज 80 एवं कार्यानुभव का वेटेज 5 अंक प्रति वर्ष एवं अधिकतम 20 होगा। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है:-

(i) किसी अभ्यर्थी का इंटर/स्नातक/स्नातकोत्तर में 70 प्रतिशत अंक एवं न्यूनतम आवश्यक कार्य अनुभव के पश्चात दो वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में वेटेज (70X80/100=56 अंक, एवं दो वर्ष का अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिए (2X5=10 अंक, देय होगा)। इस प्रकार मेधा सूची के निर्माण में उसे कुल वेटेज- (56+10) अर्थात 66 अंक दिया जायेगा।

(ii) यदि किसी पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता स्नातक है तो अभ्यर्थी का स्नातक के पश्चात कार्य अनुभव को ही मान्यता दी जायेगी।

6. **चयन की प्रक्रिया**-(1) आवेदकों से ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त किए जायेंगें। इसके लिए राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा एक पोर्टल विकसित कराया गया है। एक से अधिक पदों के लिए पात्रता होने पर अलग-अलग आवेदन करना होगा। आवेदन फीस की अवधारणा विभाग आवश्यकतानुसार कर सकेगा।

(2) मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। टाई होने पर शैक्षणिक अर्हता (स्नातक या स्नातकोत्तर इत्यादि का प्राप्तांक) को वरीयता का आधार बनाया जाएगा।

(3) कोई अभ्यर्थी विषय विशेष में मांगी गयी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता से उच्च शैक्षणिक अर्हता धारण करते हों तो वैसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगें किंतु मेधा अंकों की गणना उनके किसी भी विषय में धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता जो उस पद के लिए मांगी गयी है, के आधार पर ही की जायेगी।

व्याख्या-यदि किसी पद हेतु समाज शास्त्र में स्नातक निर्धारित अर्हता है। अभ्यर्थी के पास स्नातक में समाज शास्त्र की डिग्री नहीं है परन्तु समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री है तो अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु योग्य होगा किंतु वेटेज अंक की गणना स्नातक के अंकों के आधार पर ही किया जायेगा।

(4) संबंधित पदों के चयन के लिए राज्य बाल संरक्षण समिति सक्षम स्तर पर उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों के चयन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। उक्त चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा:-

1. निदेशक, समाज कल्याण-सह-उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति-	अध्यक्ष
2. वित्त विभाग, बिहार के प्रतिनिधि-	सदस्य
3. अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग, बिहार के प्रतिनिधि-	सदस्य
4. निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार	सदस्य
5. शिक्षा विभाग, बिहार के प्रतिनिधि-	सदस्य

7. **नियोजन की शर्तें-**

मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगें और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार माने जायेंगें। मानदेय के आधार पर चयनित इन कर्मियों द्वारा सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

मान्य वैधानिक कारणों से चयनित कर्मियों का नियोजन समाप्त करने का अधिकार निदेशक, समाज कल्याण-सह-उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति के पास होगा।

8. **योगदान एवं प्रशिक्षण-** सफल चयनित अभ्यर्थियों को योगदान के उपरांत प्रशिक्षण जिला/राज्य स्तर पर दिया जायेगा।

9. **पैनल-** प्रत्येक पद में मेरिट सूची के पश्चात् कोटिवार अलग-अलग रिक्ति का 15 गुणा प्रतीक्षा सूची रखी जाएगी ताकि आवश्यकतानुसार रिक्ति होने पर इनका नियोजन किया जा सके।पैनल की वैधता 03 (तीन) वर्ष तक होगी।

10. नियोजन अवधिः- मानदेय आधारित उपरोक्त सभी पद संविदा आधारित होंगें जो योजनावधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले लागू हो, तक के लिए है। अस्वस्थता या अनुशासनिक आधार पर अथवा सेवा असंतोषजनक होने के कारण योजनावधि अथवा 60 वर्ष की आयु जो पहले हो, के पूर्व भी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सेवा समाप्त की जा सकती है।

11. पदों के लिए अर्हता एवं मानदेय वही होगा जो मिशन वात्सल्य के अनुदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगें।

12. केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पद समाप्त किये जाने या योजना मद में आवंटन समाप्त किये जाने पर पद स्वतः समाप्त माना जायेगा।

13. नियोजन के संबंध में अपीलीय प्राधिकार सचिव, समाज कल्याण-सह-अध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति होंगें एवं उनका निर्णय सर्वमान्य एवं अंतिम होगा।

19/06

(प्रशांत कुमार सी0एच0)
निदेशक, समाज कल्याण-सह-
उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति।